न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 112/2025 बउनवानी प्रकाश चन्द भारती बनाम तहसीलदार वजीरपुर निवासी फुलवाडा तहसील वजीरपुर

GCMS No-2025/ 225 **Appeal Number- 321994518400218**

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	
17.9.2025	पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही हुआ। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने बाबत ऑन लाईन पोर्टल के माध्यम से दिनांक 24.7.2025 को लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार वजीरपुर को अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर" ***तहसीलदार वजीरपुर के निर्णय दिनांक 8.5.2025 क्रमांक राजस्व/438 के क्रमांक भू0अ0नि0 रायपुर को भेजकर लेख किया कि अतिक्रमियों आराजीयात की फसल जप्त कर निलामी की फसल जप्त कर निलामी की कार्यवाही कर फर्द निलामी मय बेदखली रिपोर्ट के संबंध मे की सम्पूर्ण कार्यवाही की प्रमाणित सूचना***" तहसीलदार वजीरपुर से दिलाये जाने बाबत निवेदन किया था किन्तु संबंधित लोक सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि में उसे चाही गयी सूचना उपलब्ध नही करवायी गयी है, जिसके कारण अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 की धारा 19(1)के तहत ऑन लाईन पोर्टल पर प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रेषित की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार वजीरपुर को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया। लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार वजीरपुर की ओर से प्रस्तुत जवाब नोटिस क्रमांकः भू0अ0/आरटीआई/2025/105 दिनांक 15.9.2025 का अवलोकन करने पर पाया गया कि चाही सूचना तहसीलदार वजीरपुर द्वारा सीधे ही ऑनलाईन पोर्टल पर अपीलान्ट को उपलब्ध करवायी जा चुकी है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते है,कि अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 24.7.2025 को प्रेषित प्रार्थना पत्र मे चाही गयी सूचना , लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार वजीरपुर द्वारा अपीलान्ट को ऑन लाईन पोर्टल के माध्यम से ही उपलब्ध करवायी जा चुकी है। ऐसी स्थिति मे अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आज्ञा सुनायी गयी। (काना राम) जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर	

Scanned with OKEN Scanner